न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :–अमिता बिश्नोई आरएएस
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–103/2024

1. काशीराम पुत्र राजाराम जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिलाहनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. विजयपुत्रहरीराम जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

प्रार्थीगण

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजस जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
2. बद्रीप्रसाद पुत्र रामजस जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान
3. सुरेन्द्र पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट साकिन कालीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. महेन्द्र सैन अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्री नवीन कुमार	अप्रार्थी संख्या 1 ता 3
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 4

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09/04/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री महेन्द्र सैन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थीगण के नाम सयुक्त खाता में कृषि भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यु पटवार हल्का कालीबंगा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा उपखण्ड पीलीबंगा के खाता संख्या 18/107 के प.न. 58/322 (33) के किला न. 1/1/00228,1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 9 ता 12, 18 ता 23 व प.न. 58/323 (57) के किला न. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 की 8.0960 हैक. में से प्रार्थी स. 1 का 1619/4048 हक व हिस्सा एवं प्रार्थी स.2 का 405/2024 हक व हिस्सा नहरी मय गैरमुमकिन खाला कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है। यह कि अप्रार्थी स. 1 औमप्रकाश के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यु के खाता स. 8/10 के प.न. 58/322 (33) के किला न. 5/1/0.228, 5/2/0.025 व प.न. 59/[illegible] के किला 7. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 2/1/0.228, 2/2/0.025, 3/1/0.228, [illegible]/2/0.025, 8 ता 13 , 18/2/0.048, 19/1/0.24, 19/2/0.013, 20/[illegible]240, 20/2/0.013, 21 .. 59/323(56) के किला न. 1/3/0.[illegible] कुल 3.4960 हैव. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी स. 2 बद्रीप्रसाद के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यु के खाता स. 72/63 के प.न. 58/322 (33) के किला न. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 6, 7, 15, 16, 25 व प.न. 59/322 (34) श्व. 4/1/0.228, 4/2/0.025, 5/1/0.164, 5/2/0.051, 5/3/0.038, 6/1/0.190, 6/2/0.038, 6/3/0.025, 7, 14, 15/1/0.190, 15/2/0.038,15/3/0.025,16/1/0.190, 16/2/0.038, 16/3/0.025, 17, 18/1/0.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

205 की कुल 3.7470 हैक. नहरी मय गैरमुमकिन खाला रास्ता राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी स. 3 रजत के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यु के खाता स. 108/94 के प.न. 58/322 (33) के किला न. 3/1/0.228, 3/2/0.025, 8, 13, 14, 17, 24 की कुल 1.518 है. नहरी मय गैरमुमकिन खाला राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि के लिये तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यु में अप्रार्थी स. 2 की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 59/322 के किला न. 5/3/0.038, 6/2/0.038, 15/2/0.038, 16/2/0.038, 25/2/0.038 में स्वीकृतशुद्वा गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व अप्रार्थी स. 1 औमप्रकाश के इसी मुरब्बा के किला न. 19/2/0.013, 20/2/0.013 में स्वीकृतशुद्वा गैरमुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, लेकिन यह रास्ता परस्पर चिपता हुआ नहीं है व अप्रार्थी संख्या 2 बद्रीप्रसाद की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 59/322 के किला न. 16, 17, 18 व प.न. 58/322 के किला न. 16 मे व अप्रार्थी स.3 रजत की कृषि भूमि प.न. 58/322 के किला न. 17 में पूर्व से पश्चिम की और दक्षिण सींव पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण स. 1 ता 3 द्वारा परस्पर सहमति अनुसार 1–1 बिस्वा रास्ता अपनी–अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतू छोडा गया है और उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी कब्जाकाश्त की कृषि भूमि आवागमन कर रहे है और रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है, लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानीयों का सामना करना पड रहा है और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मौका पर चालु रास्ता को बन्द करने की ऐलानिया तौर बार–बार धमकी दी जा रही है व बार–बार प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन में बाधा कारित कर रहे है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 2 बद्रीप्रसाद की कृषि भूमि के पत्थर नंबर 59/322 के किला न. 16, 17, 18 व प. न. 58/322 के किला न. 16 मे व अप्रार्थी स.3 रजत की कृषि भूमि प.न. 58/322 के किला न 17 में पूर्व से पश्चिम की और दक्षिण सींव पर रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की भूमि के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग (Alternative way) भी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की उक्त कृषि भूमि में मौका पर चल रहे रास्ताको राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। आंशिक नजरीया नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से गत सप्ताह पूर्व उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेखमें स्वीकृत करवा देने का आग्रह करने पर उनके द्वारा इन्कार कर दिये जाने पर प्रार्थीगण को यह हुआ है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण हासिल है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष को स्वीकृत किये जाने की एवज में श्रीमान् न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण रास्ता हेतू स्वीकृत कृषि भूमि के बदले नियमानुसार डी. एल.सी. की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले जो भी न्यायालय निश्चित करे प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण स. 1 ता 3 को देने हेतू सहमत है।

यह कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत है और उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के लिए स्वीकृत रास्ता को परस्पर जोड़ने के [illegible] प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्ल्यु के पत्थर नंबर 59/322 के किला न. 16, 17, 18 व प.न. 58/322 के किला न. 16,17 में पूर्व से पश्चिम की और दक्षिण सींव पर 0.013–0.013 बिस्वा अर्थात् 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इस रास्ता में आने वाली भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा भूमि के बदले जो भी माननीय न्यायालय अभिनिर्धारित करे प्रार्थीगण से अप्रार्थीगण को दिलवाया जाने के आदेश फरमाये जावें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजीनामा पक्षकारान निम्न प्रकार से है–यह कि प्रार्थीगण प्रथम पक्ष के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्लयू के खाता सं. 18 / 107 के प.नं. 58 / 322, 58 / 323 की कुल 8.096 हैक. में से प्रार्थी सं. 1 का 1619 / 4048 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 का 405 / 2024 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्लयू के खाता सं. 8 / 10 के प.नं. 58 / 322, 59 / 322, 59 / 323 की कुल 3.496 हैक. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 2 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्लयू के खाता सं. 72 / 63 के प.नं. 58 / 322, 591322 की कुल 3.747 हैक. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं. 3 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 46 एसएसडब्लयू के खाता सं. 179 / 108 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 3 / 1, 3 / 2, 8, 13 की 0.759 हैक. कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड वाके है।

यह कि प्रार्थीगण प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये एक प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के यहां चक 46 एसएसडब्ल्यू के प.नं. 59 / 322 किला नं. 16, 17, 18, 19, 20 व प.नं. 58 / 322 किला नं. 16 में 1–1 बिस्वा रास्ता बाबत पेश किया गया था जिसमें दोनो पक्षो की सहमति हो गई है। दोनो पक्षों के द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र में दिये गये रास्ता स्वीकृत करवाने को छोड़कर अब नया रास्ता द्वितीय पक्ष सं.1 के द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 8 / 10 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 5 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं.2 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 72 / 63 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 4 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं.3 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 179 / 108 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 3 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता प्रथम पक्ष को देने के लिये तैयार है। उसके बदले हमनें प्रतिफल राशि प्रथम पक्ष से प्राप्त कर ली है। अब कोई लेना देना बाकी नही है। मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक राजीनामा अप्रार्थी द्वितीय पक्ष सं.1 के द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 8 / 10 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 5 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं.2 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 72 / 63 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 4 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं.3 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 179 / 108 के प.नं. 58 / 322 किला नं. 3 / 1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा रास्ता मौके पर चालू नहीं है।प्रार्थी / प्रार्थीगण के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है परन्तु रजत पुत्र वेदप्रकाश जाति अरोड़ा साकिन कालीबंगा द्वारा प.नं. 58 / 322(33) कि.नं. 3 / 1, 3 / 2 कुल रकबा 0.759 हैक्ट. जरिये [illegible] द्वारा सुरेन्द्र कुमार पुत्र बद्री प्रसाद जाति जाट साकिन कालीबंगा को बेचान किया [illegible] प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि को [illegible] रास्ता नहीं लगता है।है।प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा [illegible] की स्वीकृतशुदा रास्ता अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है।प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

बहस अधिवक्त उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभ्य पक्ष द्वारा राजीनामा अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन व पत्रावली का अवलोकन के बाद

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के राजीनामा व तहसीलदार पीलीबंगा रिपोर्ट के आधार पर चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 8/10 के प.नं. 58/322 किला नं. 5/1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 72/63 के प.नं. 58/322 किला नं. 4/1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा, अप्रार्थी सं. 3 द्वारा अपनी भूमि चक 46 एसएसडब्ल्यू के खाता सं. 179/108 के प.नं. 58/322 किला नं. 3/1 में 0.013 हैक. बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता राजीनामा अनुसार बिना किसी प्रतिकर के स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो । आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 09/04/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:22:49 IST
Reason: SelfAttested